फर्द अहकाम (नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी।

अनवान:— वीन्स बनाम कालूराम आदि

अन्तर्गत धारा 151—152 सी.पी.सी. मूल वाद संख्या 009/2023

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हो
2024	आज यह पत्रावली प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र 151—152 सीपीसी का प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थी श्री कालूराम पुत्र मन्शाराम जाति नाई निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151—152 सी0पी0सी0 पेश किया कि अनवानी वीन्स बनाम कालूराम प्रकरण संख्या 09/2023 अन्तर्गत धारा 212 आरटीए न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 06.09.2024 में निर्णय के शीर्षक में सहवन से न्यायालय उपखण्डअधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के स्थान पर न्यायालय उपखण्डअधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ टंकित हो गया। अतः न्यायालय हाजा के पारित निर्णय दिनांक 06.09.2024 के शीर्षक में दुरस्त कर न्यायालय उपखण्डअधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ को दुरस्त कर न्यायालय उपखण्डअधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी करवाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व निर्णय का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि न्यायालय हाजा के पारित निर्णय में टंकनीय त्रुटी की वजह से शीर्षक में टिब्बी की जगह हनुमानगढ टंकित हो गया था। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त निर्णय के शीर्षक उपखण्डअधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ को दुरस्त कर न्यायालय उपखण्डअधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी किया जाता है। मूल निर्णय में शुद्धि का अंकन लाल स्याही से किया जायें। यह आदेश न्यायालय हाजा के पारित मूल निर्णय दिनांक 06.09.2024 अनवान वीन्स बनाम कालूराम प्रकरण स0 09/2023 का ही भाग रहेगा। शेष निर्णय यथावत् रहेगा। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तमकील दाखिल दफ्तर हो। ([illegible]) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी	

Scanned with OKEN Scanner